संख्या– 234 ई–2/तेरह–2009–92/2008

प्रेषक,

नवल किशोर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग–2

लखनऊ::दिनांक:: 30 जनवरी, 2009

विषयः– **शीरा वर्ष 2008–09 हेतु शीरा नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या– जी 279/दस–185(1)/शीरा नीति/2008–09 दिनांक 21 जनवरी, 2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त शीरा वर्ष 2008–09 हेतु निम्नवत् शीरा नीति निर्धारित की जाती है:–

(1) वर्ष 2006–07 की शीरा नीति में विचलन हेतु प्राप्त प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने के लिये अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति एवं उक्त समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी को अन्तिम निर्णय लेने की, कार्यालय ज्ञाप संख्या–1814 ई–2/तेरह–2007–4/2007 दिनांक 24 जुलाई, 2007 द्वारा की गई व्यवस्था को कार्यालय ज्ञाप संख्या–591 ई–2/तेरह–2008–106/2007 दिनांक 04 मार्च, 2008 द्वारा शीरा वर्ष 2007–08 के लिये बढ़ाया गया था, जो शीरा वर्ष 2008–09 में यथावत् लागू रहेगी।

(2) शीरा वर्ष 2008–09 में शीरे के सम्भावित कम उत्पादन को देखते हुए प्रदेश के बाहर शीरा निर्यात पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। यदि शीरे की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होगी, तो शीरा निर्यात की अनुमति दिये जाने हेतु प्रकरण अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखा जाएगा तथा समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

(3) उत्तरांचल राज्य की रासायनिक इकाईयों को उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से शासनादेश संख्या–3646 ई–2/तेरह–2006–227/2000 दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 के प्राविधानानुसार शीरा वर्ष 2008–09 में 10 प्रतिशत कम शीरा उपलब्ध कराया जाएगा, किन्तु इस सम्बन्ध में शीरे की उपलब्धता के दृष्टिगत प्रकरण अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखा जाएगा तथा समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

(4) उत्तर प्रदेश की आसवनियों को गत वर्ष की भांति अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात करने अनुमति शासन के अनुमोदन से प्रदान की जाएगी। शीरा आयातक को भारत सरकार द्वा आयात–निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(5) शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की दर गत वर्ष की भांति प्रदेश के अन्दर खपत के लिये रू0 11/– प्रति कुण्टल तथा प्रदेश के बाहर निर्यात पर 15/– रूपये प्रति कुण्टल यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रान्तों से शीरा आयात पर 11/– रूपया प्रति कुण्टल तथा अन्य राष्ट्रो से शीरा आयात पर प्रशासनिक शुल्क की दर रू0 15/– प्रति कुण्टल गत वर्ष की भांति यथावत् रहेगी।

(6) शीरा निधि की धनराशि के अन्तर–इकाई हस्तान्तरण की सुविधा शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्वानुमोदन से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(7) शीरा वर्ष 2008–09 में पेय मदिरा हेतु शीरे के आरक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की जाए:–

(अ) शीरा वर्ष 2008–09 में प्रत्येक चीनी मिल द्वारा उत्पादित शीरे पर देशी मदिरा के लिये 30 प्रतिशत शीरा आरक्षित रहेगा तथा देशी मदिरा के उपभोग से अवशेष शीरे का आवण्टन विदेशी मदिरा के निर्माताओं को शीरा नियंत्रक द्वारा किया जाएगा; किन्तु मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–4466/2007 मेसर्स धामपुर सुगर मिल्स लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2007 के अनुपालन में सह–आसवनी वाली चीनी मिलों में उत्पादित शीरे की मात्रा को उनकी स्वयं की आसवनी के उपभोग के लिये अवमुक्त रखा जायेगा तथा उनके उपभोग से अवशेष मात्रा पर 30 प्रतिशत आरक्षण लागू रहेगा।

शीरा नीति वर्ष 2008–09 में उक्त आरक्षण के सम्बन्ध में यदि विचलन का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाएगा।

(ब) शीरा वर्ष 2008–09 में आरक्षित/अनारक्षित शीरे के निस्तारण का अनुपात 3:7 रखे जाने का निर्णय लिया गया है तथा इसकी समीक्षा शीरा नियंत्रक द्वारा सत्र के प्रथम छमाही में द्विमासिक समीक्षा एवं अगले छमाही में मासिक समीक्षा की जाएगी तथा इसका अनुपालन न करने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(स) अवशेष अविक्रीत आरक्षित श्रेणी के शीरे को स्वयं के उपयोग अथवा फ्री–सेल में विक्रय हेतु अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थनापत्रों को शीरा नियंत्रक द्वारा स्व–विवेक से यथोचित समय पर निर्णय लेने हेतु शासन को संदर्भित किया जाएगा, जिस पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय लिया जायेगा।

खाण्डसारी शीरे की आड़ में चीनी मिलों से शीरे के दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से ण्डसारी शीरे का प्रदेश के बाहर निर्यात करने की स्थिति में शीरा नियंत्रक/आबकारी आयुक्त की नुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(9) शीरा वर्ष 2008–09 की शीरा नीति के अन्य किसी बिन्दु पर विचलन के सम्बन्ध में भी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर मा0 आबकारी मंत्री जी द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाएगा।

(10) शीरा वर्ष 2008–09 के लिये घोषित शीरा नीति अगले शीरा वर्ष 2009–10 में यथावत् तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि शीरा वर्ष 2009–10 के लिये शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती।

2010

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित् करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवल किशोर)
विशेष सचिव।